कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी गोहरगंज जिला रायसेन

राजस्व प्रकरण कमांक /64/वी121/11–12

दिनांक 16.1.2012

:::: कालोनी के विकास की अनुमति ::::

मध्यप्रदेश नगर पलिका अधिनियम 1956 मध्यप्रदेश नगर पलिका अधिनियम 1961 ओर उसके अतर्गत निर्मित मध्य प्रदेश नगर पलिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धप तथा शर्ते) 1998 के अधीन नि0लि0शर्तो के अधीन रहते हुये । ग्राम मंडीदीप पटवारी हल्का नं0 03 खसरा कमांक 437/1/1/1/2 रकवा 5.92 एकड डमि लाइड डवलार्पेस खसरा कमांक 438/1 रकवा 1.00 एकड श्रीमति मधु तिवारी खसरा कमांक 438/2 1.00 एकड श्रीमति मधु तिवारी खसरा कमांक 438/3 रकवा 1.00 एकड श्री सुवन्ण सागार वाजपेयी 1.00 एकड एंव खसरा कमांक 438/4 रकवा 1.00 एकड कुल भूमि 9.92 एकड एंव खसरा कमांक 437/1/1/1/3 रकवा 3.00 एकड खसरा कमांक 437/4 रकवा 2.00 एकड कुल 5.00 एकड श्री प्रभाकर कन्स्ट्रेशन कम्पनी भोपाल के नाम दर्ज है।

उक्त भूमि 14.92 एकड मे से 9.92 एकड के भूमि स्वामी द्वारा अपनी भूमि के विकास से संबधित कार्य करने ,आवासीय कालोनी निर्मित करने तथा उससे संबधित विभागो से आवश्यक अनुमतियो प्राप्त करेन हेतु श्री प्रभाकर कन्स्ट्रेशन कम्पनी द्वारा पार्टनर श्री अनिल जैन आ स्व श्री बाबूलाल जी जैन भोपाल को मुख्तार आम नियुक्त किया गया है । अतः कुल 9.92 एकड एंव आवेदक की भूमि 5.00 एकड कुल 14.92 एकड भूमि एकड पर आवासीय कालोनी विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति श्री प्रभाकर कन्स्ट्रेशन कम्पनी पार्टनर श्री अनिल जैन आ स्व श्री बाबूलाल जी जैन भोपाल प्रदान की जाती है।

1. नगर भू सीमा अधिनियम तथा नियत्रंण 1976 मे उल्लेखित प्रावधानो के अतर्गत सक्षम प्रधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र मे उल्लेखित शर्तो का पालन करना होगा जिसके निर्वहन का उत्तरदायित्व पूर्णत : आपका होगा ।
2. म0प्र0 भू0राजस्व सहिता 1959 के अतर्गत भू व्यपर्वतन की शर्तो का पालन करना होगा ।
3. म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अतर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तो का पालन करना होगा ।
4. कालोनी के 15 प्रतिशत भू खण्डो का विकय न करते हुये केवल कमजोर वर्ग के लिये भूखण्डो / भवनो का विकास / निर्माण करना होगा
5. वाहय विकास कार्य कालोनाइजर द्वारा स्वय किया जाना अनिवार्य होगा ।

Scanned with CamScanner

6. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित अभिन्यास का सीमाकंन उपरांत ही विकास कार्य प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य होगा । साथ ही शासकीय भूमि छोडकर विकास कार्य किया जावे ।

7. भूमि का स्वमित्व विवाद की स्थिति मे यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी ।

sd/-
अनुविभागीय अधिकारी,
अनुविभागीय अधिकारी
गौहरगंज

क्रमांक / /रीडर/2012 दिनांक 16.1.2012

प्रतिलिपि :— मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंडीदीप

1. ~~सरपंच सचिव ग्राम पंचायत पिपलिया मज्जू~~ की ओर सूचनार्थ तथा उक्त भूमि पर नियमानुसार कालोनी विकास शुल्क जमा कर आवश्सक कार्यवाही की जावे ।
2. श्री अनिल जैन पार्टनर श्री प्रभाकर कन्स्टक्शन कम्पनी भोपाल को पालनार्थ ।

अनुविभागीय अधिकारी,
गौहरगंज

Scanned with CamScanner